



३२

## न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्र.क्र. .... निगरानी/2016

A.J.-1824-I/16

सन् 2016

दिनांक 6-6-16 को  
चालौड़ श्री लवकुश नगर  
द्वारा प्रकृत  
6-6-16

रामगोपाल भरभूंजा (भुजी) तनय स्व. श्री  
बल्लू उर्फ बलराम भरभूंजा (भुजी)  
निवासी- लवकुश नगर (लौही) तहसील-  
लवकुशनगर, जिला - छतरपुर म.प्र.

.....आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम

विन्द्रावन तनय स्व. श्री बुद्ध चौरसिया  
निवासी- वार्ड - 6 तहसील- लवकुश  
नगर जिला - छतरपुर म.प्र.

.....अनावेदक/प्रतिनिगरानीकर्ता

### निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959

निगरानी विलोम आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील- लवकुश  
नगर जिला - छतरपुर म.प्र. के जो उनके द्वारा अपने न्यायालय के  
प्रकरण क्रमांक 01/आ-6-आ/15-16 में दिनांक 26.05.2016 को  
अंतिम आदेश पारित किया, से परिवेदित होकर।

मान्यवर महोदय,

सेवा में आवेदक/निगरानीकर्ता निब्बलिखित निगरानी आवेदन सादर प्रस्तुत  
करता, है:-

1. यह कि, संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि आराजी ग्रासरा नम्बर  
1819 रकवा 0.085 हे., लगान 0.94 रु. स्थित ग्राम लवकुश नगर  
(लौही) तहसील- लवकुश नगर जिला-छतरपुर म.प्र. की भूमि

— २ —

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, गवालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक—निगरानी—1824—एक / 2016

जिला—छतरपुर

रामगोपाल भरभूंजा(भुर्जी) विरुद्ध विन्द्रावन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
11—03—2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार, तहसील लवकुशनगर, जिला—छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 01 / अ—6—अ / 2015—16 में पारित आदेश दिनांक 26—05—2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25—9—2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर, जिला—छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 08—05—2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p>(3)</p>	<p style="text-align: right;">(पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर)</p> <p style="text-align: right;">(आरप्रक्र0 जैन) सदस्य</p> <p style="text-align: right;">3.19</p>